सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 30, सोमवार, *शाके* 1945-अगस्त 21, 2023 *Sravana 30, Monday , Saka 1945- August 21, 2023*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 18, 2023

संख्या प.2(11)विधि/2/2023.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2023 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) अधिनियम, 2023
(2023 का अधिनियम संख्यांक 20)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2023 को प्राप्त हुई)

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) अधिनियम, 2008 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 2008 के राजस्थान अधिनियम सं. 22 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम सं. 22), जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान खण्ड (i) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ii) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iक) "शेष रहे अस्थायी अध्यापक" से, योग अनुदेशकों/योग अध्यापकों को सम्मिलित करते हुए ऐसे अध्यापक, जो विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट अभिकरण के बीच हुए किसी सहमति-पत्र के आधार पर विश्वविद्यालयों में कार्य करते रहे हैं किंतु अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में जिन पर विचार नहीं किया गया था, अभिप्रेत हैं;";
और

(ii) खण्ड (iv) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अभिप्रेत है किन्तु" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "संविदा आधार पर" के पूर्व अभिव्यक्ति ",विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच करार/सहमति-पत्र होने के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों द्वारा पुर:स्थापित, योग शिक्षा और अभ्यास तथा सकारात्मक स्वास्थ्य की प्रोन्नति की स्कीम के अधीन विश्वविद्यालय में कार्यरत योग अनुदेशक/योग अध्यापक के सिवाय," अंत: स्थापित की जायेगी।

3. 2008 के राजस्थान अधिनियम सं. 22 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 में,-

(i) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

" परंतु शेष रहे अस्थायी अध्यापक को नियमित करने की कवायद, 180 दिन की समाप्ति के पश्चात् की जा सकेगी।"।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, August 18, 2023

No. F. 2(11)Vidhi/2/2023.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Vishwavidyalayon ke Adhyapak (Asthaye Adhyapakon ka Aamelan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (2023 Ka Adhiniyam Sankhyank 20):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN UNIVERSITIES' TEACHERS (ABSORPTION OF TEMPORARY TEACHERS) (AMENDMENT) ACT, 2023
(Act No. 20 of 2023)

(Received the assent of the Governor on the 17th day of August, 2023)

An
Act

to amend the Rajasthan Universities' Teachers (Absorption of Temporary Teachers) Act, 2008.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Universities' Teachers (Absorption of Temporary Teachers) (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 22 of 2008.- In sub-section (1) of section 2 of the Rajasthan Universities' Teachers (Absorption of Temporary Teachers) Act, 2008 (Act No. 22 of 2008), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) after the existing clause (i) and before the existing clause (ii), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(ia) "left out temporary teacher" means teachers including yoga instructors/yoga teachers who have been working in the universities by virtue of any Memorandum of Understanding between the university and the agency referred by University Grants Commission but were not considered in pursuance to the provisions of the Act;"; and

(ii) in clause (iv), after the existing expression "University concerned on Deputation" and before the existing punctuation mark ";", the expression "except yoga instructor/yoga teacher working in the universities under the Scheme for Promotion of Yoga Education and Practice and Positive Health in Universities introduced by the University Grants Commission or guidelines issued by the University Grants Commission after entering into an Agreement/Memorandum of Understanding between the University and University Grants Commission" shall be inserted.

3. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 22 of 2008.- In section 6 of the principal Act,-

(i) for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after the punctuation mark so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that exercise of regularizing the left out temporary teacher may be undertaken after the expiry of 180 days.".

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।